भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद गोरखपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर बाईपास के निर्माण हेतु एन0एच0-29ई (किमी0 83+308) से एन0एच0-28 (किमी0 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.451 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 4.946 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1390 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/148572/2022)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-195/81-2-2023-800(186)/2023 दिनांक 13 जुलाई 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी
Date: 12-07-2023 16:17:26
Reason: Approved
( )

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

File No.81-2099/288/2023-02-,

I/348134/2023

संख्या–पी-195/81-2-2023-800(186)/2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई 2023

विषय- जनपद गोरखपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर वाईपास के निर्माण हेतु एन0एच0-29ई (किमी0 83+308) से एन0एच0-28 (किमी0 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 है0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.451 है0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 4.946 है0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं वाधक 1390 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्वन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/148572/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-4081/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/148572/2022 दिनांक 28.06.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर वाईपास के निर्माण हेतु एन0एच0-29ई (किमी0 83+308) से एन0एच0-28 (किमी0 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 है0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.451 है0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 4.946 है0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं वाधक 1390 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति से सम्वन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव विषयगत प्रस्ताव मूलरूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - प्रस्ताव की मूल प्रति तथा पेनड्राइव सहित।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी
Date: 12-07-2023 16:17:00
Reason: Approved

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आशीष तिवारी)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner